ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Issue 2, December 2020
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719

भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति

मयंक कुषवाहा

समाजषास्त्र विभाग, काषी हिन्दू विष्वविद्यालय

सांप्रदायिकता का अर्थ है, सामाजिक धार्मिक समूहों की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा वे दूसरे समूहों के हितों को नुकसान पहुँचाकर अपने लिए और अधिक सामाजिक एवं राजनितिक ताकत को प्राप्त करने के प्रयत्न करते है। यह एक विचारधारा है, जिसके तहत समाज धार्मिक समुदायों में विभक्त होता है। जिनके हित भिन्न-भिन्न होते हैं ओर कभी-कभी एक दमसरे से विल्कुल विरूद्ध होते है। दूसरे षब्दों में सांप्रदायिकता को विषिश्ट समुदायों के स्वार्थी हितों द्वारा राजनीतिक कार्यो के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। यह राजनीतिक रूप से एक ऐसी विकृत नीति है, जो राश्ट्रवाद अथवा राश्ट्रीयता की भावना का विरोध करती है। वस्तुतः यह बहुजातीय, बहुधर्मिक तथा बहुभाशायी समुदायों के सहअस्तित्व के समक्ष उपस्थित एक चुनौती हैं, जिसकी सबसे गंभीर अभिव्यक्ति संगठित सांप्रदायिक दंगों और हिंसा में होती है। यह एक ऐसे षत्रुभाव को विकसित करती है, जिससे सांप्रदायिक व्यक्ति या संगठन विषेश समुदाय पर गलत दोशारोपण, क्षति पहुँचाने और नियोजित तरीके से अपमानित करने तक का प्रयास करता है। लूटपाट, मकानों ओर दुकानों में आगजनी तथा दुर्बलों एवं असहायों को प्रताड़ित करना, स्त्रियों का अपमान तथा लोगों की नृषंस हत्याओं में साप्रदायिक विद्वेश की भावना दिखायी पड़ती है। धर्म के माध्यम से राजनीति करने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाते है। धार्मिक उन्मादों को, भड़काकर, धर्म के अस्तित्व को खतरें में बताकर, धार्मिक मुक्ति के लिए उत्प्रेरित कर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया जाता है।

सांप्रदायिकता के आयाम

प्रसिद्ध विद्वान टी० के० उमन द्वारा सांप्रदायिकता के ६ आयामों की चर्चा की गयी है। इसमें आत्मसातकारी, कल्याणकारी, पलायनकारी, पृथ्कतावादी तथा प्रतिकारात्मक सांप्रदायिकता सम्मिलित है। आत्मसातीकरण से संबद्ध सांप्रदायिकता का लक्ष्य किसी समुदाय विषेश का कल्याण करना होता है। जीवन स्तर में सुधार, षिक्षा एवं स्वास्थ जैसी आधारभूत सुविधाओं का किसी खास संप्रदाय के लिए विस्तार करना इसका उद्देष्य होता है। पलायनवादी सांप्रदायिकता वह है, जिसमें एक छोटा धार्मिक समुदाय अपने को राजनीति से अलग रखता है जैसे बहाई समुदाय अपने सदस्यों को राजनीति में भाग लेने से रोकता है। प्रतिकारात्मक सांपदायिकता प्रतिषोध की भावना पर आधारित होती है। इसके तहत किसी धार्मिक समुदाय द्वारा अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों को क्षति पहुँचाना अपनी सांस्कृतिक विषिश्टता बनाये रखने का प्रयास करता है।उदाहरण के रूप में उत्तर-पूर्वी भारत में मिजो और नागाओं की मांग को देखा जा सकता है, अलगाववादी सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय राजनैतिक पहचान की मांग करता है और स्वतंत्र राज्य की चाह रखता है। आजाद कष्मीर व खालिस्तान की मांग इस प्रकृति की सांप्रदायिकता का उदाहरण है।

भारतीय समाज की प्रकृति और सांम्प्रदायिकता :

भारत का बहुलवादी समाज अनेक धार्मिक समूहों से मिलकर बना है, जो कई धार्मिक उपसमूहों में भी विभक्त है। हिन्दू धर्म पंथों में वर्गीकृत है जैसे आर्य समाज, षैव

समाज, सनातनी, वैश्णव आदि जबकि इस्लाम धर्म एक ओर षिया और सुन्नियों में विभक्त है, तो दूसरी ओर अषरफ (कुलीन), असलम (जुलाहें, कसाई, बढई, तेली और अरजलों में)। भारत में सांप्रदायिकता के दुश्प्रभावों का लंबा इतिहास रहा है। १८५७ में अग्रेंजों द्वारा हिन्दू मुस्लिम के बीच 'फूट डालो और षासन करो' की नीति अपनायी गई। १९०९ में मार्ले-मिंटो अधिनियम में साम्प्रदायिकता के बीज प्रस्फुटित हुए और कालांतर में क्रिप्स प्रस्तावों में पाकिस्तान को अपरोक्ष समर्थन देकर सांप्रदायिकता की भावना को उद्वेलित किया गया। निष्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् सांविधानिक दृश्टि से पंथ निरपेक्ष ढाँचे के बावजूद सांप्रदायिक मनोवृत्ति एवं तत्वों की उपस्थिति ने राश्ट्रिय सहिश्णुता को चोट पहुँचायी है।

धर्म एवं सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों के रूप में मुख्य स्थान रहा है। धर्म एवं राजनीति की अतंक्रिया ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत में संप्रदाय पंथ के आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठन किया गया। चूँकी भारतीय समाज में धर्म जनमानस में रचा बसा है, इसलिए धार्मिक भावनाओं को उत्प्रेरित कर चुनावों में संप्रदाय आधारित ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया। विष्व हिन्दू परिशद, बंजरग दल, षिवसेना, षिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिशद् और हिन्दू महासभा द्वारा धार्मिक आचरणों को राजनीतिक षक्ति संबर्द्धन का माध्यम बनाया गया। इस संदर्भ में भारतीय राजव्यवस्था के विष्लेशक मारिस जोन्स का मानना हे कि, '' संप्रदाय के आधार पर गठित राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति में संकीर्ण हितों को प्रश्रय देते है। भारत में यह देखा गया है कि वोटबैंक की राजनीति के द्वारा धार्मिक अथवा सांप्रदायिक आधारों पर मतदान व्यवहार की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। १५वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों विषेशकर उत्तर प्रदेष में यह स्थिति विवाद का विशय बनी। भारत में विभिन्न धार्मिक दबाव गुटों द्वारा अपरे हित में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए षासन की नीतियो को प्रभावित किया जाता हैं। उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पंथ के आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती है।

संप्रदायिकता के कारक :

भारत जैसे बहुलतावादी राश्ट्र में संप्रदायवाद के विकास के पीछे एकाधिक कारक विद्यमान रहे हैं। ऐतिहासिक कारणों में ब्रिटिष औपनिवेषिक साम्राज्यिक प्राथमिकता द्वारा हिन्दू-मुस्लिम के बीच विद्वेश को फैलाना प्रमुख है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् विकास के बावजूद सामाजिक-आर्थिक असंतुलन एवं विशमताएं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिम्मेदार रही है। नगरीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण ने जिन सामाजिक परिवर्तनों को उत्पन्न किया है, उससे सभी वर्ग अथवा समुदाय अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाये है। अषिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन की स्थितियाँ और सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाओं तथा चितांओं ने विभिन्न संप्रदायों को विचलित व्यवहार करने के लिए विवष किया हैं इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के बीच विविध राजनीतिक दलों ने किसी भी माध्यम से सत्ता प्राप्ति हेतु जातिगत, सांप्रदायिकता को प्रतिस्पर्द्धी चुनावी राजनीति का उत्पाद माना है। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों अथवा समुदायों का सामाजिक-आर्थिक बहिश्करण और उनका राश्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से न जुड़ पाने की स्थितियाँ अविष्वास व असुरक्षा के भाव उत्पन्न कर सांप्रदायिक दंगो के लिए उत्प्रेरित करती है।

भारत में सांप्रदायिकता उन्माद के प्रमाण :

१९४६-४८ के दौरान सांप्रदायिक उन्माद, १९६४ में पूर्वी भारत के अनेक भागों- कलकत्ता, जमषेदपुर, राउरकेला एवं राँची में हुए सांप्रदायिक दंगे, १९६८ से १९७१ के बीच देष के विविध भागों में सांप्रदायिक हिंसा उपरोक्त अविष्वास और असुरक्षा की भावनाओं का ही परिणाम हैं। वर्श १९७९ में तमिलनाडु के मीनाक्षी पुरम में दलितों का धर्म-परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाये जाने से गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। इस समय विष्व हिन्दू परिशद् की हिन्दू हितों के रक्षक के रूप में भूमिका को सांप्रदायिक आधार पर देखा गया। इसी प्रकार वर्श

१९८४में भारतीय प्रधानमंत्री की नृषंस हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में लगभग ३००० सिखों के मारे जाने सांप्रदायिक तत्वों की पहचान को उजागर करने वाला एक अन्य मामला १९८५ का षाहबानों प्रकरण था जिसमें सरकार द्वारा मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने की कार्यवाई की गयी। इसे अल्पसंख्यकों के तुश्टीकरण के तौर पर देखा गया। वर्श १९९२ में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ रामजन्म भूमि आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिक दंगों के विध्वसंक दुश्चक्र को षुरू किया। वर्श १९९८ में मुजरात में बाध्यतापूर्वक धर्म परिवर्तन के मुद्दें पर गिरिजाधरों पर हमले के बाद इसाई धर्मप्रचारकों की नृषंस हत्या (स्टेन्स हत्याकांड) से अल्पसंख्यकों के असुरक्षा का मामला सामने आया और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ। इसी क्रम में गुजरात में हुए गोधरा कांड के तांडव ने सांप्रदायिक उन्माद को जीवन-मरण का प्रष्न बना दिया। सन् २००८ में उड़ीसा के कंधमाल में हुए इसी प्रकृति दंगों में अनेक आदिवासी परिवार के घरों को जला दिया गया। वस्तुतः ऐसी स्थितियाँ एक असभ्य, बर्बर, अलोकतांत्रिक, अमानवीय मनोवृत्ति की ही सूचक है।

सांप्रदायिकता का दुश्प्रभाव :

संप्रदायिकता की मानसिकता किसी खास धर्म समूह के निहित स्वार्थो की पूर्ति की दृश्टि से तो लाभदायक हो सकता है, लेकिन राश्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने में बाधक है। यह राश्ट्रीय संस्कृति के बजाय स्वयं की उप संस्कृति विकसित करने हेतु बढ़ावाा देता है। देष में षांति, सुरक्षा, समृद्धि, सद्भाव, सहिश्णुता की संस्कृति पर सांप्रदायिकता घातक प्रहार करती है, और राश्ट्र के कानून और व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करनी है। इसका कारण घृणा, द्वेश और प्रतिषोध की भावना पर आधारित होना है। इससे निर्दोश नागरिकों का अमूल्य जीवन नश्ट होता है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचती है, यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है और षहर बंदी के दौरान ईनिक जीवन की आवष्यक वस्तओं की आपूर्ति ठप्प हो जाती है।यह विचारणीय तथ्य है कि षहरों में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद लगायी गयी बंदी में मरीज चिकित्सक तक न पहुँच पाने के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र वाले नगरों जैसे अहमदाबाद, मुंबई, मेरठ, अलीगढ़, नासिक, बड़ोदरा, दिल्ली में होनेवाले सांप्रदायिक दंगों से व्यापार-वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और अंततः राश्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि को भी चोट पहुँचती है।

संप्रदायिकता को दूर करने के प्रयास :

इसलिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयास करने ही होगें। मूल्य आधारित राजनीति ओर मूल्य आधारित षिक्षा इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उल्लेखनीय है कि सन् २००८ में राश्ट्रीय एकता परिशद् की बैठक में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों की मान्यता को समाप्त करने की अनुषंसा की गयी है। परिशद् की बैठक में विष्व हिन्दू परिशद्, बजरंग दल तथा षिव सेना की कार्यवाहियों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। कम से कम राजनीतिक दलों हेतु ऐसी आचार संहिता का निर्माण होना जरूरी है, जिससे धर्म, भाशा, संप्रदाय जैसे गैर राजनीतिक तत्वों का चुनावी राजनीति में प्रयोग न हो। सर्वधर्म समभाव की स्थापना के लिए विभिन्न संप्रदायों की सहमति के साथ धार्मिक समन्वय समितियों की स्थापना इस दिषा में कारगर रणनीति हो सकती है। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए बनाये गये 'त्वरित कार्यवाही बल' का विस्तार एवं सषक्तीकरण किया जाना चाहिए। बहुसंख्यकों और अल्पसंख्ययकों के हितों के मध्य संतुलन स्थापित कर अल्पसंख्यकों की वैध मांगों की सुनवाई व आवष्यकतानुसार स्वीकृती मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास को संतुलित कर विकास जनित सामाजिक-आर्थिक विशमताओं को रोका जाना चाहिए और विकास के लाभों में सभी समुदायों की उचित भागीदारी सुनिष्चित होनी चाहिए और षिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक मूल्यों के समावेष की रणनीति राश्ट्रीय ज्ञान आयोग को बनानी चाहिए।

वर्श २००५ में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण विधेयक को राज्य सभा में

प्रस्तुत किया गया था। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति तथा सांप्रदायिक तनाव की स्पश्ट व्याख्या, साप्रदायिक हिंसा के दोशियों को सामूहिक समुदाय के रूप में दंउित किये जाने का सुझाव और सांप्रदायिक हिंसा के मुकदमों की जांच-पड़ताल के लिए राज्यों में विषेश अदातल गठित करने का सुझाव है। आवष्यकता इस बात की है िकइस त्वरित गति से कानून बने।

निश्कर्शः

भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के षब्दों मे कहा जा सकता है कि ‘‘भारत के लोगों के मनमस्तिश्क में एकात्मकता उत्पनन करने हेतु भारतीयों में नैतिकता , सदाचार और आध्यात्मिकता की नीव डालनी होगी। आर्थिक समृद्धि के बीच सषक्त पुलों का निर्माण करना होगा। धर्म और विज्ञान के बीच समरूपता की स्थापना होने पर ही भारत में समृद्धि और षांति की स्थापना हो पायेगी। इसके लिए ‘ मै और तू का अहम ओर क्षुद्रता का त्याग आवष्यक है।‘‘ ७ दिसम्बर २००३ को नई दिल्ली में आयोजित ‘ समरसता की संस्कृति तथा षांति की दिषा में अतंराश्ट्रीय षिखर सम्मेलन में राश्टपति कलाम द्वारा यह उद्बोधन निष्चित रूप से भारत की वेष्विक स्तर पर सांस्कृतिक साख अथवा पंथनिरपेक्ष छवि के निर्माण की नींव डाल सकता है। इस वाक्यांषो का अनुसरण अर्थों में भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति का उपषमन करेगा।

संदर्भ ग्रन्थसूची :-

- एम० लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैग्राहिल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- दैनिक जागरण पत्रिका।
- प्रतियोगिता दर्पण।